>

Title: Need to deploy 'Fire Watcher' and 'Guards' for safety of forests and crops in Himachal Pradesh under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची में वनों से रक्षा के लिए "फायर वाचर" एवं किसानों की फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में कई बार वनों में अकस्मात भयंकर आग लग जाती है जिससे अरबों रूपए की वन सम्पदा एवं जीवनरक्षक जड़ी-बूटियाँ तथा दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर भस्म हो जाते हैं, लेकिन आग बुझाने अथवा उस पर काबू पानेके लिए वन विभाग के पास पर्याप्त साधन व मानव संसाधन नहीं है तथा स्थानीय लोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद जंगलों को बचाने में सहयोग इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल लगाने का तो अधिकार है, लेकिन उन जंगलों से लाभ उठाने पर रोक है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की फसलों को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं, लेकिन उनसे रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों को मारने पर कानूनी रोक है। अतः हिमाचल प्रदेश में आग से वनों को बचाने के लिए "फायर वाचर" तथा किसानों की फसलों को बचाने के "रखवाले" नियुक्त करने का प्रावधान मनरेगा योजना में किए जाने का अनुरोध है।

-